न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : असलम मेहर आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 374/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1–पेमाराम पुत्र अलाराम 2–चूनाराम पुत्र अलाराम 3–गोपाराम पुत्र अलाराम 4–बाबूराम पुत्र अलाराम 5–स्व0किरताराम पुत्र अलाराम के वारिस 5.1–खेराजराम पुत्र स्व0किरताराम 5.2–जीवण पुत्र स्व. किरताराम 5.3–मोहनी पत्नी स्व0 किरताराम 6–श्रीमती रूकी पत्नी अलाराम जातियान मेघवाल निवासीगण खबाणिया तहसील ओसिया जिला जोधपुर		1– अमानाराम पुत्र मूलाराम 2– मांगीलाल पुत्र मूलाराम 3– प्रहलादराम पुत्र भेराराम 4– मेगाराम पुत्र भेराराम 5– पतासी पुत्री उमाराम 6– मांगीलाल पुत्र रामूराम 7– चूनी पुत्री रामूराम 8– दाकू पत्नी रामूराम 9– तीजा पुत्री गोमदराम 10–लाली पुत्री गोमदराम 11–पप्पू पुत्री गोमदराम 12–सुगनी पुत्री गोमदराम जातियान मेघवाल निवासीगण खबाणियां तहसील ओसियां जिला जोधपुर 13–सरपंच ग्राम पंचायत किंजरी पंचायत समिति ओसियां जोधपुर 14–सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ओसियां जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 17–10–2016 जो सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा मुकदमा संख्या 20/2012 अनवान प्रेमाराम वगैरा बनाम अमानाराम वगैरा मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री पी0आर0मेघवाल अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– रेस्पो0 संख्या 1 से 13 बावजुद तामिल के अनुपस्थित ।
4– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 14 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 27–9–2019

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम खबाणियां तहसील ओसियां के खसरा नंबर 45 रकबा 49 बीघा 07 बिस्वा भूमि के संयुक्त खातेदार हेमला पि0 गंगा एव अलिया पुत्र पुत्र जेठा भांबी सा0 देह थे । सहखातेदार अलिया का देहांत होने पर उसके खातेदारी की भूमि के संबंध मे स्वीकृत किये गये उत्तराधिकार के नामांतरकरण संख्या 19 मे उसके वारिसान वर्तमान अपीलांटगण का नाम दर्ज नही कर अन्य लोगो का नाम दर्ज करते हुए सरंपच ग्राम पंचायत कींजरी द्वारा दिनांक 29–8–65 को स्वीकृत कर दिया । उक्त म्यूटेशन संख्या 19 की जानकारी अपीलांटगण को दिनांक 23–7–2012 को होना बताते हुए अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ओसियां के समक्ष वर्ष 2012 मे लगभग 47 वर्ष विलंब से प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश की । जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

निर्णय दिनांक 17–10–2016 के द्वारा उनके समक्ष 47 वर्ष के विलंब से प्रस्तुत प्रथम अपील को अंदर मयाद सुमार करने का कोई मजबूत आधार धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे प्रस्तुत नही किया जाने पर अपीलांटगण की प्रथम अपील को मयाद के बिन्दु पर खारीज कर दी जाने के आदेश से व्यथित होकर अपीलांटगण ने यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

अपीलांट अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता उपस्थित । शेष रेस्पो0 संख्या 1 से 13 बावजुद तामिल के अनुपस्थित । अपीलांट अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांटगण के पिता एवं पति अपीलाधीन भूमि ग्राम खबाणियां तहसील ओसियां के खसरा नंबर 45 रकबा 49 बीघा 07 बिस्वा भूमि के संयुक्त खातेदार थे तथा अपीलांटगण ही उनके विधिक वारिसान है परंतु अपीलांटगण के पिता अलिया के फोत होने पर उनके हिस्से की खातेदारी की भूमि के संबंध मे उतराधिकार का नामांतरकरण संख्या 19 स्वीकृत करने से पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत कींजरी ने मृतक अलिया के विधिक वारिसान की जांच नही की तथा उक्त उतराधिकार के म्युटेशन मे अपीलांटगण के स्थान पर वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 5 से 12 के पिता को मृतक अलिया के पुत्र बताते हुए म्युटेशन स्वीकृत कर दिया, जो विधिसम्मत नही था । अपीलांटगण को उक्त म्युटेशन संख्या 19 की जानकारी होने पर अधीनस्थ न्यायालय मे उक्त म्युटेशन के विरूद्ध प्रथम अपील पेश की तथा अपील पेश करने मे हुए विलंब को क्षमा करने बाबत अपील के साथ धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की प्रथम अपील के गुणावगुण पर विचार किये बिना केवल मयाद के बिन्दु पर अपील को खारीज करने मे विधिक भूल की है, जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन भूमि पर अपीलांटगण का ही कब्जा काश्त निरंतर चला आ रहा है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने कब्जे संबंधी तथ्य को भी नजरअंदाज करते हुए केवल अपील विलंब प्रस्तुत करने के कारण अपील को मयाद के बिन्दु पर ही खारीज करने मे विधिक भूल की है । अपीलांट अधिवक्ता का कथन है कि जहां प्रकरण गुणावगुण पर सारवान हो तो प्रकरण के गुणावगुण पर विचार किया जाना चाहिये ऐसे मामलो मे मयाद के बिन्दु को गौण मानते हुए प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय किया जाना चाहिये इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि एवं न्यायसंगत नही होने से अपीलांटगण की उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17–10–2016 को निरस्त करने तथा ग्राम पंचायत कींजरी द्वारा नामांतरकरण संख्या 19 पर पारित आदेश दिनांक 29–8–1965 को निरस्त

अति. सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

कर अपीलाधीन भूमि अपीलांटगण के नाम दर्ज करने के आदेश पारित करने का निवेदन किया ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि अपीलाधीन म्युटेशन जो कि वर्ष 1965 मे स्वीकृत हुआ था जिसके विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय मे लगभग 47 वर्षो के लंबे अंतराल के बाद वर्ष 2012 मे म्युटेशन अपील पेश की तथा अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे ऐसा कोई संतोषप्रद कारण का उल्लेख नही होने से अधीनस्थ न्यायालय ने अपील को मयाद के बिन्दु पर खारीज करने का आदेश पारित किया है जो विधिसम्मत होने से अपीलांटगण की उक्त अपील खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर गौरपूर्वक मनन किया तथा अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 19 का गहनता से अध्ययन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय को भी ध्यानपूर्वक पढा । अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 19 जो कि सह खातेदार अलिया के फोत होने पर उतराधिकार का म्युटेशन है जो वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 5 से 12 के पिता उमा, रामू, गोमद आदि को जायंदा बताते हुए भरकर पेश किया गया जिसे पंचायत की बैठक मे सर्वसम्मति से वर्ष 1965 मे सरपंच ग्राम पंचायत कींजरी द्वारा स्वीकृत किया गया। वर्ष 1965 मे स्वीकृत हुए म्युटेशन संख्या 19 के विरूद्ध अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय मे लगभग 47 वर्षो के विलंब से वर्ष 2012 मे प्रस्तुत की गई प्रथम अपील के साथ धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे विलंब को क्षमा करने का कोई संतोषप्रद कारण का उल्लेख नही किया गया होने से अधीनस्थ न्यायालय ने अपील को मयाद बाहर मानकर खारीज की है । यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलांटगण स्वयं ने इतने लंबे समय तक अपने खातेदारी बाबत राजस्व अभिलेखो के बारे मे जानकारी हासिल क्यो नही की । यदि अपीलांटगण स्वयं अपने अधिकारो के प्रति सजग नही है तो ऐसे मामलो मे न्यायालय भी प्रार्थीगण को किसी प्रकार की राहत प्रदान नही कर सकती है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील पर पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय न्यायोचित होने से उसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत नही होता है ।

इसके अलावा वर्तमान अपील मे अपीलांट का मुख्य कथन है कि अपीलाधीन भूमि पर निरंतर अपीलांटगण का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा अपीलांटगण ही मृतक खातेदार अलिया के वारिसान है । इस संबंध मे यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि म्युटेशन की समरी कार्यवाही के जरिये उतराधिकारियो का निर्धारण संभव नही है इसके लिए अपीलांटगण को सक्षम न्यायालय से उतराधिकार प्रमाण पत्र हासिल करना होगा तथा अपीलांटगण यदि अपीलाधीन भूमि पर अपना कब्जा काश्त होना बताते है तो इसके लिए अपीलांटगण अपने कब्जा

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

काश्त के आधार पर सक्षम न्यायालय मे दावा प्रस्तुत कर अपने अधिकारो की घोषणा करवा सकते है, म्युटेशन की कार्यवाही के जरिये अधिकारो की घोषणा संभव नही है ।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर ओसियां द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17–10–2016 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27–9–2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(असलम मेहर)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर